न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

सरकार बनाम मोहनीदेवी

10-8-18

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थिति। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया किया कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 20 गुमानकंवर का स्वर्गवास दिनांक 02–05–2014 को हो चुका है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 16 लालसिंह का स्वर्गवास दिनांक 22–12–2005 को हो चुका है। अपीलांट/स्टेट द्वारा मृतकों के वारिसान को अब तक रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही पत्रावली में नहीं की गई है। नियमानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 16 व 20 के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेने की समयावधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए अपीलांट की अपील अबेट हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट/स्टेट की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज फरमाई जावे।

इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत भी अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकार की मृत्यु के 90 दिवस के भीतर–भीतर वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। जैसा कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। अपीलांट अपने कृत्य के प्रति लापरवाह रहे है। अपीलांट की अपील अबेट हो चुकी है। जब पक्षकारों के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र नियमानुसार 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अपील स्वतः अबेट हो जाती है। इसके लिए अलग से आदेश प्रसारित करने की भी आवश्यकता नहीं है।

न्याय का यह सिद्वान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 16 के स्वर्गवास के 13 वर्ष उपरान्त व रेस्पोडेन्ट संख्या 20 के स्वर्गवास के 4 वर्ष उपरान्त भी उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अपीलांट/स्टेट की अपील स्वतः खारिज हो चुकी हैं अतः स्टेट की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील स्टेट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 26–05–2008 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं। जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में तमाम रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य है। ऐसी स्थिति में यदि किसी रेस्पोडेन्ट का स्वर्गवास दौराने अपील हो जाता है तो यह रेस्पोडेन्ट की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे स्वयं अदालत मातहत के

Scanned by CamScanner

समक्ष फौत हुए रेस्पोडेन्ट के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते ताकि प्रकरण से संबंधित विधिक प्रतिनिधियों को पत्रावली पर पक्षकार बनाया जा सकता। चूंकि प्रकरण में स्टेट बतौर अपीलांट है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स जोकि एक ही परिवार के सदस्य है, यदि किसी रेस्पोडेन्ट का दौराने अपील स्वर्गवास हो जाता है तो उनके विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का नैतिक दायित्व शेष रेस्पोडेन्ट का है ना ही स्टेट/अपीलांट का है। स्टेट अर्थात भूमिधारक तहसीलदार के लिए प्रकरण में यह संभव नहीं है कि वे रेस्पोडेन्ट जिनका दौराने अपील स्वर्गवास हो चुका है, के विधिक प्रतिनिधियों की जानकारी प्राप्त करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण की आपत्ति की उक्त अपील जरिये अबेटमेंट खारिज फरमाई जावे, खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में स्टेट द्वारा जरिये तहसीलदार, बीकानेर उक्त अपील अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–05–2008 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 16 लालसिंह का स्वर्गवास दिनांक 22–12–2005 को व रेस्पोडेन्ट संख्या 20 गुमानकंवर का स्वर्गवास दिनांक 02–05–2014 को हो चुका है। इस संबंध में प्रकरण की वस्तुस्थिति को देखा जाये तो यह स्थिति प्रकट होती है कि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में तमाम रेस्पोडेन्ट्स एक ही परिवार के सदस्य है तथा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित है।

ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स स्वयं का यह नैतिक दायित्व था कि वे स्वयं न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होते हुए फौत हुए रेस्पोडेन्ट्स के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करतें। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा ऐसा नहीं करते हुए मात्र तकनीकी बिन्दु का सहारा लेते हुए प्रकरण के निस्तारण की चेष्टा की जा रही है। जिसे न्यायिक दृष्टि से कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट की आपत्ति कि अपीलांट/स्टेट की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज की जावे, खारिज की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में रेस्पोडेन्ट मोहनीकंवर द्वारा दिनांक 14–02–2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए

Scanned by CamScanner

अभिकथन किया गया है कि वादगत् भूमि ग्राम उदासर के खेत खसरा नम्बर 37 सेना द्वारा अवाप्त कर ली गई है। लेकिन मुआवजा आज दिनांक तक नहीं मिला है। अतः मुआवजा दिलवाया जावे।

इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से यह साबित है कि वादगत् भूमि वर्तमान में सेना विभाग के नाम है तथा अदालत मातहत द्वारा स्वयं अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि पक्षकारान् मुआवजा राशि प्राप्त करने के हकदार है। जब अदालत मातहत स्वमेव यह माना है कि पक्षकारान् मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी है, इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा स्वयं यह तथ्य स्वीकार किया है कि वादगत् भूमि सेना द्वारा अवाप्त की जा चुकी है, दूसरी तरफ अदालत मातहत द्वारा बिना स्टेट का जवाब प्राप्त किये व यह तथ्य साबित होते हुए कि वर्तमान जमाबन्दी सेना विभाग के नाम से है जिसे पक्षकार बनाये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में सेना विभाग भारत सरकार को उनके समक्ष जैरकार प्रकरण में नियमानुसार पक्षकार बनाते हुए, सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करते। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् जायज पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

अतः स्टेट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी(उत्तर), बीकानेर दिनांक 26–05–2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुए व रक्षा विभाग को पक्षकार बनाते हुए व उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner